न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 01 / 2018 अपील (RCMS/2018/00023)
पंजीयन दिनांक — 12.02.2018
निर्णय दिनांक — 16.04.2019

1. श्री भरत बागवान पुत्र स्व. श्री किशनलाल बागवान, निवासी तुलसी शिक्षा सदन विद्यालय के पीछे, किशन जी की बाड़ी, तहसील आमेट जिला राजसमन्द।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अध्यक्ष, जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2. नगर पालिका आमेट, तहसील जिला राजसमन्द।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1
2. श्री मनीष शर्मा — वकील अपीलान्ट
3. श्री संजय कोठारी व भरत सरूपरिया — वकील रेस्पाडेंट संख्या—2

नगर पालिका, आमेट जिला राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014, लीज डीड दिनांक 05.08.2014 तथा आपत्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम—2009

निर्णय

दिनांक 16.04.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका, आमेट जिला राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014, लीज डीड दिनांक 05.08.2014 तथा आपत्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अध्यक्ष, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2013 को अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका आमेट समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा आमेट में जैन समाज की संस्था जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा आमेट का गठन पूर्व से हो रखा है, उक्त संस्था द्वारा खरीद शुदा आराजी नम्बर 2777 पर वर्तमान में विद्यालय संचालित है जिसके सटमा नगर पालिका आमेट की खातेशुदा आराजी संख्या—2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर उक्त संस्था का वर्ष 1987 से ही लगातार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शांतिपूर्वक कब्जा होकर उक्त भूमि पर निर्माण हो रखा है तथा निरन्तर कब्जे के आधार पर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी नियमन आदेशों के तहत जैन समाज उक्त भूमि को अपने नाम नियमन करवाना चाहता है। उक्त प्रार्थना पत्र से उक्त संस्था के नाम भूमि का नियमन करवा पट्टा दिलवाने का निवेदन किया।

- उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय नगर पालिका, आमेट जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 03.03.2014 को प्रशासन शहरों की ओर अभियान–2012 की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरानत आराजी संख्या–2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर को श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट के पक्ष में 99 वर्षीय लीज होल्ड के आधार पर नियमन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और संस्था से नियमानुसार बाद शुल्क जमा संस्था के पक्ष में नियमन स्वामित्व दस्तावेज पंजीयन कराने की स्वीकृत प्रदान की। तत्पश्चात उक्त भूमि के सम्बन्ध नगर पालिका, आमेट द्वारा लीज डीड दिनांक 14.08.2014 को जारी की गई।

- दिनांक 05.06.2017 को अध्यक्ष, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट द्वारा एक प्रार्थना पत्र नगर पालिका, आमेट को प्रस्तुत कर उक्त भूमि के तल पर एवं प्रथम तल पर शैक्षणिक उपयोग हेतु निर्माण कराने की स्वीकृत चाही गई। नगर पालिका, आमेट द्वारा उक्त निर्माण स्वीकृत हेतु आवेदन पर आपत्ति नोटिस दिनांक 24.07.2017 जारी किया और उसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका में दिनांक 25.07.2017 के अंक में किया गया। उक्त प्रकाशन पर अपीलान्ट श्री भरत कुमार बागवान द्वारा दिनांक 31.07.2017 को नगर पालिका समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत की।

- नगर पालिका आमेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014, लीज डीड दिनांक 05.08.2014 (लीड डीड पर दिनांक 14.08.2014 अंकित) तथा आपत्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध श्री भरत कुमार बागवान द्वारा एक निगरानी अन्तर्गत धारा–327 नगर पालिका अधिनियम–2009 न्यायालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रस्तुत की गई।

- उक्त निगरानी निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा निम्नांकित टिप्पणी करते हुए न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रेषित की–

''प्रकरण भूमि का नियमन करने का है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा–73 नगर पालिका द्वारा भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, आंवटित करने या अन्यथा अंतरित करने से सम्बन्धित है। यह प्रकरण भी भूमि को नियमित कर अंतरित करने से सम्बन्धित होने से धारा–73 के अन्तर्गत आता है। उक्त धारा 73 की उप धारा 2 में नगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पालिका भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने विक्रय करने, नियमित करने, आंवटित करने या अन्तरित करने के लिये किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैद्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिये धारा 73 के लिए प्राधिकृत अधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगाकर परीक्षण कर उपान्तरित, रद्द या विखण्डित करने के लिये समक्ष है। उक्त निगरानी याचिका धारा–73 के अन्तर्गत आती है। धारा–327 में पोषणीय नहीं है। अतः उक्त निगरानी याचिका को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)/नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 से धारा 73(2) के अधिन प्रकरण की सुनवाई करने के लिये न्यायालय संभागीय आयुक्त को हस्तांतरित की जावे।''

प्रकरण में पत्रावली प्राप्त होने उपरान्त अपील अन्तर्गत धारा–73(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 के तहत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 उपस्थित। अन्य पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील रेस्पोडेंट–1 की एकतरफा बहस दिनांक 09.04.2019 को सुनी गई। वकील अपीलान्ट दिनांक 09.04.2019 को बहस उपरान्त उपस्थित हुए और उनके निवेदन पर निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया, लिखित बहस दिनांक 11.04.2019 को प्राप्त। वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 द्वारा निर्णय दिनांक 16.04.2019 को उपस्थित।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील व लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेट संख्या–1 द्वारा जो नियमन बाबत जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके साथ विधि विरूद्व शपथ पत्र पेश किये जिसके नियमन हेतु नगर पालिका की एम्पावर्ड कमेटी का गठन होकर नियम विरूद्ध तरिके से उक्त आराजी संख्या–2778 का नियमन कर दिया गया। नगर पालिका द्वारा बिना किसी उजरदारी/विज्ञप्ति आपत्ति जारी किये बिना रेस्पोडेंट संख्या–1 के हक में 99 वर्षीय नियमन वाणिज्यिक शास्वत लीज जारी की गई और दोनों आराजी न. 2777 व 2778 की लीज जारी कर दी। प्रत्यर्थीगणों ने मिलीभगत कर बिना जांच पड़ताल तथा बिना मौके की स्थिति एवं रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध आराजी संख्या–2778 का नियमन कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा उक्त आराजी संख्या–2778 पर निर्माण की स्वीकृत पर नगर पालिका द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गई जिस पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका निस्तारण आदिनांक तक नहीं किया गया। जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा एक अपंजीकृत संस्था है, उसको भूमि का आवंटन नहीं किय जा सकता है। नगरपालिका के क्षेत्राधिकार की भूमि नीलामी के द्वारा ही बोलीदाता के हक में की जा सकती है। रेस्पोडेंट–1 ने मौके पर निर्माण हो रखा है, यह बताया जो गलत है, मौके पर कोई निर्माण नहीं हुआ है और न कभी था। रेस्पोडेंट संख्या–1 के नियमन आवेदन पर किसी प्रकार की आपत्ति आमंत्रित नही की गई, जो नगर पालिका की आर्डरशीट से स्पष्टतः जाहिर होती है। उक्त आराजी नम्बर 2778 एक आराजी संख्या है जो रेस्पोडेंट संख्या–1 के द्वारा खरीद नहीं किया गया तथा न ही उस 01.01.1991 से पूर्व कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या–1 के द्वारा प्रस्तुत

Web Copy Not Official

किये गए है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त आराजी संख्या–2778 का नियमन खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने अपील व लिखित बहस में प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा एक रजिस्टर्ड संस्था होकर उसका नियमानुसार संचालन किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा खरीद शुदा आराजी नम्बर 2777 पर वर्तमान में विद्यालय संचालित है जिसके सटमा नगर पालिका आमेट की खातेशुदा आराजी संख्या–2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिस पर उक्त संस्था का वर्ष 1987 से ही लगातार शांतिपूर्वक कब्जा होकर उक्त भूमि पर निर्माण हो रखा है तथा निरन्तर कब्जे के आधार पर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी नियमन आदेशों के तहत जैन समाज उक्त भूमि को अपने नाम नियमन चाहने हेतु नगर पालिका, आमेट समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त संस्था द्वारा उक्त भूमियों पर कब्जे के सम्बन्ध में नगरपालिका की एम्पावर्ड कमेटी समक्ष कन्हैयालाल पिता नाथूलाल जी अध्यक्ष, श्री लाभचन्द (मंत्री) एवं श्री रोशनलाल, श्री सुन्दरलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। उक्त आराजी न. 2778 पर भी ब्लू प्रिन्ट के नक्शे के वर्णन अनुसार भवन निर्माण हो रखा है। एम्पावर्ड कमेटी के सदस्यगणों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों एवं आदेशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए नियमन की कार्यवाही की और आराजी संख्या–2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर को श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट के पक्ष में 99 वर्षीय लीज होल्ड के आधार पर नियमन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और संस्था से नियमानुसार बाद शुल्क जमा संस्था के पक्ष में नियमन स्वामित्व दस्तावेज पंजीयन कराने की स्वीकृत प्रदान की। तत्पश्चात उक्त भूमि के सम्बन्ध नगर पालिका, आमेट द्वारा लीज डीड दिनांक 14.08.2014 को जारी की गई।

अपीलार्थी द्वारा एक ही अपील में तीन आदेशों की अपील/निगरानी प्रस्तुत की जो एक साथ लाई नहीं होती है।

प्रकरण में नियमानुसार एक रजिस्टर्ड संस्था को जमीन का नियमन किया गया है, जहा उसका स्कूल भवन बना हुआ है, इस कारण पहले आराजी नम्बर 2777 का नियमन किया गया व बाद में आराजी नम्बर 2778 का नियमन किया गया। कथित नियमन नगरपालिका की डिस्कसनरी पॉवर है तथा ये निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा इस जमीन की रूपान्तरकरण कार्यवाही हुई तब भी संस्था ने राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के यहा अपील की जो स्वीकार हुई। इस प्रकार संस्था ने आराजी नम्बर 2777 व 2778 द्वारा तुलसी अमृत विद्यापीठ भवन का निर्माण सन् 1987 में कराया गया। संस्था द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण स्वीकृति हेतु नगर पालिका में दिनांक 05.06.2017 को आवेदन किया और दिनांक 17.07.2017 को नियमानुसार शुल्क जमा करा दिया।

कथित नियमन का आदेश दिये जाने के बाद लीजडीड स्टाम्प पर निष्पादित कर उसका पंजीयन भी उप पंजीयक आमेट के यहा कराया गया, वह लीज 99 वर्ष की वाणिज्यिक शाश्वत् लीज दी गई तथा नियमानुसार निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई।

इस मामलें में नियमानुसा कथित भूमि का नियमन किया गया तथा उसका ब्ल्यू प्रिन्ट के रूप में नक्शा बनाकर पेश किया गया यह आराजी जमाबन्दी में नगरपालिका आमेट के नाम दर्ज है तथा इस जमीन से प्रार्थी का दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। नगर पालिका आमेट ने एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.03.2014 को हुई तथा नगरपालिका आमेट ने आराजी नम्बर 2778 को नियमन का आदेश जारी किया जो पूर्णतया विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत की गई लिखित बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नगर पालिका, आमेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2014, लीज डीड दिनांक 05.08.2014 तथा आपत्ति आमंत्रण पत्र दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा लीज डीड दिनांक 05.08.2014 अंकित की गई है जबकि पत्रावली के अवलोकनानुसार लीज डीड दिनांक 14.08.2014 को लिखी जाकर उसका पंजीयन दिनांक 26.08.2014 को कराया गया है। उक्त आदेश दिनांक 03.03.2014 व लीज डीड आराजी संख्या 2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर के नियमन से सम्बन्धित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा–73 नगर पालिका द्वारा भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, आंवटित करने या अन्यथा अंतरित करने से सम्बन्धित है। यह प्रकरण भी भूमि को नियमित कर अंतरित करने से सम्बन्धित होने से धारा–73 के अन्तर्गत आता है। उक्त धारा 73 की उप धारा 2 में नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आंवटित करने या अन्तरित करने के लिये किये गये किसी प्रस्ताव की शुद्धता, वैद्यता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिये धारा 73 के लिए प्राधिकृत अधिकारी सुसंगत अभिलेख मंगाकर परीक्षण कर उपान्तरित, रद्द या विखण्डित करने के लिये समक्ष है। स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प. 8(ग)/नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 से नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उप–धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में नियमन सम्बन्धी कार्यवाही ही इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में है।

अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में नगर पालिका, आमेट द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पुश्तैनी एवं खरीदशुदा आवासीय भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर नगर पालिका अधिनियम–2009 की धारा 194 एवं अन्य उपबन्धों के तहत कार्यवाही करते आपत्ति आमंत्रित की गई। जैसाकि उपरोक्त पैरा में वर्णित किया गया है कि संभागीय आयुक्त को धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से सम्बन्धित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में भवन के निर्माण से सम्बन्धी कार्यवाही इस न्यायालय के

श्रवणाधिकार में नहीं है। अतः अपीलार्थी उक्त आपत्ति आमंत्रण पत्र के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करें।

जहां तक प्रकरण में विवादित आराजीयात के नियमन का सम्बन्ध है, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली के गहन अवलोकन से ज्ञात होता है कि रेस्पाडेंट संख्या–1 का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम–1941 के तहत पंजीकरण दिनांक 08.12.1994 हो हुआ जिसके सर्टिफिकेट की प्रति दौराने अपीलीय प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई। नगर पालिका, आमेट क्षेत्र में पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट के आराजी नम्बर 2778 व 2778 रकबा क्रमशः 0.4500 हैक्टेयर व 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर भूमि पर जैन श्वेताम्बर तैरापंथी सभा आमेट द्वारा तुलसी अमृत विद्यापीठ भवन का निर्माण वर्ष 1987 में कराया गया था उस समय आराजी नम्बर 2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि को शामिल कर ली गई थी। तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में नियमन हेतु प्रशासन शहरों की ओर अभियान 2012 आयोजित किया गया था, नगर पालिका, आमेट को जिला कलक्टर, राजसमन्द के आदेश क्रमांक–प. 12/3(क)(18)/राजस्व/2002/2320–24 दिनांक 18.06.2004 से नगर पालिका आमेट क्षैत्र में स्थित सिवायवक भूमियां आवंटित हुई थी, उसके उक्त भूमि भी नगर पालिका को आवंटन की गई थी।

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.3(50)न. वि.वि./03/2012 दिनांक 24.01.2013 एवं इससे पूर्व जारी परिपत्र दिनांक 21.09.2012 में राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन के लिये तालिका संख्या–1 में नगरीय क्षैत्रों के नाम के जोनवाईज नियमन की दरों को निर्धारण किया गया है। जिसमें क्रम संख्या–3 में वाणिज्यि आरक्षित दर का 25 प्रतिशत या 1000/– रूपये पर प्रति वर्गगज जो भी अधिक हो, वसुली का प्रावधान होने से नगर पालिका, आमेट द्वारा प्रशासन शहरों की ओर अभियान–2012 में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.03.2014 के प्रस्ताव संख्या–3 में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा समिति के द्वारा 2778 को नियमन करने विचार किया गया। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विचार विमर्श उपरानत आराजी संख्या–2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर को श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट के पक्ष में 99 वर्षीय लीज होल्ड के आधार पर नियमन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया और संस्था से नियमानुसार बाद शुल्क जमा संस्था के पक्ष में नियमन स्वामित्व दस्तावेज पंजीयन कराने की स्वीकृत प्रदान की। तत्पश्चात उक्त भूमि के सम्बन्ध नगर पालिका, आमेट द्वारा लीज डीड दिनांक 14.08.2014 को जारी की गई। उक्त भूमि के नियमन के सम्बन्ध में नगर पालिका, आमेट द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की गई। कब्जें के सम्बन्ध में पूर्ण जांच की एवं समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के मद्देनजर आराजी संख्या–2778 के नियमन की कार्यवाही की गई।

प्रश्नगर प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, आमेट से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.04.2019 अनुसार खसरा संख्या 2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किस्म बंजड होकर नगर पालिका आमेट के नाम दर्ज है। उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा में जैन श्वेताम्बर तैरापंथी सभा द्वारा 4–4 टॉयलेट व स्नानाघर बनाये जिनके खण्डहर मौके पर विद्यमान है तथ विगत तीस वर्षों से तेरापंथी सभा आमेट का कब्जा होना जाहिर आया है। उक्त रिपोर्ट भी उपरोक्त आराजी संख्या–2778 के नियमन सम्बन्धी कार्यवाही के पूर्णतया विधिक होने की स्थिति एवं रेस्पाडेंट संख्या–1 के कथनों की पुष्टि करती है।

यहा यह कथन की करना उचित होगा कि क्या प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी एक हितबद्ध व्यक्ति है और नियमन कार्यवाही से प्रभावित है, यह अपीलार्थी सिद्ध नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में नियमन कार्यवाही के विरूद्ध अपीलार्थी को तकनीकी रूप से अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं विस्तृत विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। नगर पालिका, आमेट द्वारा आराजी संख्या–2778 रकबा 0.0300 हैक्टेयर के सम्बन्ध में जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, आमेट के पक्ष में पारित नियमन आदेशों को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official